भाग III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवंबर, 2004

संख्या सा0का0नि0 31/संवि0/अनु0 309/2004– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियो तथा इस निमित्त उन्हे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2004 कहे जा सकते है।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी तकनीकी (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1997 में परिशिष्ट–ख में खना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियो के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:–

1	2	3	4
"4.	डिस्पैंसर (आयुर्वेदिक)	(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था या बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्वति संकाय से उपवैद्य ; (ii) मैट्रिक या इसके समकक्ष (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान। या (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था या बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्वति संकाय से आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा ; (ii) 10+2 की परीक्षा फिजीक्, कैमिस्ट्री तथा बायोलोजी विषयो सहित पास (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान।	(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था या बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्वति संकाय से उपवैद्य ; (ii) मैट्रिक या इसके समकक्ष (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान। या (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था या बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्वति संकाय से आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा ; (ii) 10+2 की परीक्षा फिजीक्स, कैमिस्ट्री तथा बायोलोजी विषयो सहित पास (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान।"

कृष्ण मोहन,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदा विभाग।